**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1460**

**24 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए**

**अल्प अवधि कमीशन के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए चिकित्सा सुविधा**

**1460. श्री जी. सी. चन्द्रशेखर:**

क्‍या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या मंत्रालय ने अल्प अवधि कमीशन (एसएससी) के सेवानिवृत्त अधिकारियों को चिकित्सा सुविधा नहीं देने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सेना ने सरकार से स्थायी कमीशन और अल्प अवधि कमीशन के अधिकारियों के बीच बढ़ते हुए भर्ती अंतर को पाटने के लिए अल्प अवधि कमीशन को और अधिक आकर्षक बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ग): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ): सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क): सरकार ने शॉर्ट सर्विस कमीशंड अफसरों (एसएससीओएस) और इमरजेंसी कमीशंड अफसरों (ईसीओएस) को उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक विशेष योजना बनाने का निर्णय लिया है ।

(ख) से (घ): सशस्त्र सेनाओं के परामर्श से शॉर्ट सर्विस कमीशन को और अधिक आकर्षक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

\*\*\*